

बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

सं०-3/आ०वि० (विविध)-02-12/2013 1625

प्रेषक

एस० एम० राजू  
सरकार के सचिव

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी

पटना, दिनांक- 19/8/13

विषय:- विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों में पंखा लगाये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों में डबल-डेकर कॉट की आपूर्ति की गई है। डबल-डेकर कॉट के कारण छात्रावासों में लगे सिलिंग पंखा से नीचे के तल के छात्र/छात्रा को पंखा का हवा नहीं मिल पाती है।

अतः जिन आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों में डबल-डेकर कॉट की आपूर्ति की गई है, उन छात्रावासों के डबल-डेकर कॉट लगे कमरे का सिलिंग फैन अविलम्ब हटा कर उसके स्थान पर दिवाल फैन (Wall fan) लगाया जाय। हटाये गये सिलिंग फैन को विद्यालय भवन में आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकता है। यदि सिलिंग फैन अतिरिक्त रहता है तो उसे दूसरे आवासीय विद्यालय में उपलब्ध कराया जा सकता है। उक्त दिवाल फैन का क्रय राज्य सरकार के क्रय नियमावली के आलोक में किया जाये।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन

(एस० एम० राजू)  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:-3/आ०वि० (विविध)-02-12/2013

1625

पटना, दिनांक:-

19/8/13

प्रतिलिपि:-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप  
निदेशक, कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

19/8/13